

भाग -2

7.	परियोजना का विवरण	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-बबेरु-अर्तारा-नैरनी-करतल मार्ग (एस.एच.-71)के किमी. संख्या 23 (चैनेज - 22.038 से 22.098) दांयी पटरी ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 28क में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.276 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(I)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	फतेहपुर
(III)	वन प्रभाग	समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर
(IV)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	0.276 हे०
(V)	वन कानून की स्थिति	संरक्षित
(VI)	हरियाली घनत्व	0.3
(VII)	प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की पतिगणना (संलग्न की जाय। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०आर०एल०-2 मी० पर परिगणना और एफ०आर०एल० 4 मी० भी संलग्न किये जाए)	कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं है।
(VIII)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	अत्यन्त छोटा एवं पटरी के रूप में क्षेत्र होने के कारण भू-क्षरण के प्रति संवेदनशील नहीं है।
(IX)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी पर	संरक्षित वन क्षेत्र में (0 किमी०)
(X)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथ कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
(XII)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8	एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि,दोषी अधिकारियों	नहीं

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	संलग्न है
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढाचा आदि	संलग्न है
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7(XI)(XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए	संलग्न है
12	विभाग/ जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	415200 हे0
II	जिले का वन क्षेत्र	7113.913 हे0
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	56 मामले एवं 224.1828 हे0
IV	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	—
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	303.60144 हे0 41553 पौध का रोपण
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
ट	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	127.0654 हे0 एवं 39687 पौध
क	वन भूमि पर	शून्य
ख	वनेत्तर भूमि पर	303.60144 हे0 41553 पौध का रोपण
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष	जनहित में प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।